



मानव संसाधन प्रभाग, प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075

ऑन-लाइन पंजीकरण के लिए आरंभिक तिथि	07.02.2024
ऑन-लाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि	25.02.2024
ऑनलाइन परीक्षा की संभावित तिथि (जहां भी आवश्यक हो)	मार्च/ अप्रैल 2024

पंजाब नैशनल बैंक निम्नलिखित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है

पोस्ट कोड	पद का नाम	ग्रेड/स्केल	रिक्तियों की संख्या	वेतनमान
01	अधिकारी-ऋण	जेएमजीएस I	1000	36000-1490/7-46430-1740/2-49910-1990/7-63840
02	प्रबंधक-फॉरेक्स	एमएमजीएस II	15	48170-1740/1-49910-1990/10-69810
03	प्रबंधक-साइबर सुरक्षा	एमएमजीएस II	05	48170-1740/1-49910-1990/10-69810
04	वरिष्ठ प्रबंधक-साइबर सुरक्षा	एमएमजीएस III	05	63840-1990/5-73790-2220/2-78230
कुल			1025	

डीए, सीसीए, एचआरए/लीज पर आवास, छुट्टी किराया रियायत, चिकित्सा बीमा, सेवानिवृत्ति लाभ एवं अन्य अनुलाभ बैंक के नियमानुसार होंगे।

1. आरक्षण

पद का नाम एवं ग्रेड	रिक्ति	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	ईडब्ल्यूएस	अना	पीडब्ल्यूबीडी			
							ओसी	एचआई	वीआई	आईडी
जेएमजी स्केल-I में अधिकारी-ऋण	1000	152	78	270	100	400	12	13	10	13
एमएमजी स्केल-II में प्रबंधक-फॉरेक्स	15	02	01	04	01	07	00	00	00	00
एमएमजी स्केल-II में प्रबंधक-साइबर सुरक्षा	05	01	00	01	00	03	00	00	00	00
एमएमजी स्केल-III में वरिष्ठ प्रबंधक-साइबर सुरक्षा	05	00	01	01	00	03	00	00	00	00
कुल	1025	155	80	276	101	413	12	13	10	13

प्रयुक्त संकेताक्षर: अ.जा.- अनुसूचित जाति, अ.ज.जा. - अनुसूचित जनजाति, अ.पि.व. - अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अना.-अनारक्षित श्रेणी, पीडब्ल्यूबीडी- बेंचमार्क अक्षमता वाले व्यक्ति (जिसमें ओसी, एचआई, वीआई, आईडी शामिल हैं), ओसी-आर्थोपेडिक रूप से दिव्यांग, एचआई - श्रवण बाधित, वीआई - दृष्टिबाधित, आईडी- बौद्धिक अक्षमता

"पंजाब नैशनल बैंक में 1025 विशेषज्ञ अधिकारियों की भर्ती"



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

नोट:

- क. रिक्तियों/आरक्षित रिक्तियों की संख्या अनंतिम (अस्थायी) है एवं बैंक की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार भिन्न हो सकती है। आरक्षण में आरक्षित रिक्तियों की कमी भी शामिल है। कृपया ध्यान दें कि प्रत्येक स्केल में विभिन्न पदों के संबंध में आरक्षण बैंक द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- ख. आरक्षित श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थी जिनके लिए कोई रिक्ति घोषित नहीं की गई है, वे अनारक्षित श्रेणी के लिए घोषित रिक्तियों के लिए आवेदन करने के लिए स्वतंत्र हैं, बशर्ते वे अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
- ग. सभी पदों के लिए, भारत में कहीं भी सेवा प्रदान करने के इच्छुक अभ्यर्थी ही आवेदन करें।
- घ. बेंचमार्क अक्षमता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के संबंध में:
 - i. चूंकि पीडब्ल्यूबीडी के लिए आरक्षण समस्तरीय (horizontal) आधार पर है, अतः चयनित अभ्यर्थियों को उपयुक्त श्रेणी (अर्थात अ. जा./ अ. ज.जा./ अ. पि. व./ ईडब्ल्यूएस/ अना.) में रखा जाएगा, जिससे वे संबंधित हैं।
 - ii. यह स्पष्ट किया जाता है कि बेंचमार्क अक्षमता वाले अभ्यर्थियों को बैंक के सभी कार्यालयों/ शाखाओं में पदस्थापित करना संभव नहीं है एवं उनके चयन होने की स्थिति में, उन्हें बैंक द्वारा उनके लिए चयनित उपयुक्त पद पर काम करना होगा।
 - iii. चयनित अभ्यर्थियों को बैंक के विवेकाधिकार पर, बैंक की किसी भी शाखा/ कार्यालय में, भारत में कहीं भी आवश्यकतानुसार तैनात किया जा सकता है।

2. पात्रता मानदंड

2.1 राष्ट्रीयता /नागरिकता

अभ्यर्थी या तो -

- i. भारत का नागरिक हो या
- ii. नेपाल का नागरिक हो या
- iii. भूटान का नागरिक हो या
- iv. कोई तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के प्रयोजन से 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आया था या
- v. भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश - केन्या, युगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया (पूर्व में तांगानिका एवं ज़ांज़ीबार), जाम्बिया, मलावी, जैरे, इथियोपिया एवं वियतनाम से भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए देशांतरण किया हो,

बशर्ते कि उपर्युक्त (ii), (iii), (iv) एवं (v) श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

2.2 आयु, शैक्षणिक योग्यता, प्रमाणन एवं शैक्षणिक योग्यता के उपरांत कार्य अनुभव

पद का नाम	ग्रेड/स्केल	आयु (01.01.2024 को)	शैक्षणिक योग्यता	प्रमाणन (पंजीकरण की अंतिम तिथि को वैध)	शैक्षणिक योग्यता के उपरांत कार्य अनुभव
अधिकारी ऋण	जेएमजी स्केल-1	न्यूनतम - 21 वर्ष अधिकतम - 28 वर्ष	अनिवार्य: इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए)। या	अनिवार्य: कोई नहीं	अनिवार्य: लागू नहीं वांछनीय: बैंक/वित्तीय संस्थाओं में कार्य अनुभव



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

पद का नाम	ग्रेड/स्केल	आयु (01.01.2024 को)	शैक्षणिक योग्यता	प्रमाणन (पंजीकरण की अंतिम तिथि को वैध)	शैक्षणिक योग्यता के उपरांत कार्य अनुभव
			इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट - सीएमए (आईसीडब्ल्यूए)। या सीएफए संस्थान (यूएसए) से चार्टर्ड वित्तीय विश्लेषक (सीएफए) या सरकारी निकाय/ एआईसीटीई / यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त / अनुमोदित किसी भी संस्थान / महाविद्यालय / विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ वित्त में विशेषज्ञता के साथ पूर्णकालिक एमबीए या पीजीडीएम या समकक्ष।		
प्रबंधक फॉरेक्स	एमएमजी स्केल- II	न्यूनतम - 25 वर्ष अधिकतम - 35 वर्ष	अनिवार्य: सरकारी निकाय/ एआईसीटीई/ यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त/ अनुमोदित किसी भी संस्थान/ महाविद्यालय / विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ वित्त/अंतरराष्ट्रीय व्यापार में विशेषज्ञता के साथ पूर्णकालिक एमबीए या पीजीडीएम या समकक्ष	अनिवार्य: कोई नहीं वांछनीय: एफआईडीएआई/ आईआईबीएफ/ एनआईबीएम या किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा संचालित फॉरेक्स में सर्टिफिकेट कोर्स को वरीयता दी जाएगी।	अनिवार्य: संबंधित क्षेत्र में एक अधिकारी के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव वांछित: बैंकों में फॉरेक्स संबंधी अनुभव
प्रबंधक साइबर सुरक्षा	एमएमजी स्केल- II	न्यूनतम - 25 वर्ष अधिकतम - 35 वर्ष	अनिवार्य: सरकारी निकाय/ एआईसीटीई/ यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त/ अनुमोदित किसी भी संस्थान/ महाविद्यालय / विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ कंप्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक बी.ई./बी.टेक. डिग्री अथवा पूर्णकालिक एम.सी.ए.।	अनिवार्य: निम्नलिखित में से कम से कम एक प्रमाणन: 1. सिस्को प्रमाणित नेटवर्क एसोसिएट (सीसीएनए) 2. सिस्को प्रमाणित नेटवर्क एसोसिएट (सीसीएनए सुरक्षा) 3. चेक प्वाइंट प्रमाणित सुरक्षा विशेषज्ञ (सीसीएसई) 4. पालो ऑल्टो नेटवर्क्स प्रमाणित	अनिवार्य: आईटी में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम 1 वर्ष का अनुभव बड़े डेटा सेंटर/ एसओसी/सी- एसओसी में आईटी एवं साइबर सुरक्षा के प्रबंधन में निम्नलिखित कार्यभार का अनुभव- सिक्वोरिटी इंसिडेंस इवेंट मैनेजमेंट (एसआईईएम) / पेरिमीटर सिक्वोरिटी - फायरवाल्स / एनआईपीएस / एंटी-डीडीओएस / डब्ल्यूएएफ /



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

पद का नाम	ग्रेड/स्केल	आयु (01.01.2024 को)	शैक्षणिक योग्यता	प्रमाणन (पंजीकरण की अंतिम तिथि को वैध)	शैक्षणिक योग्यता के उपरांत कार्य अनुभव
			<p>वांछित: सरकारी निकाय/ एआईसीटीई/ यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त/ अनुमोदित किसी भी संस्थान/ महाविद्यालय / विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक एम.टेक. डिग्री ।</p>	<p>नेटवर्क सिम्योरिटी इंजीनियर (पीसीएनएसई) 5. जुनिपर नेटवर्क प्रमाणित सुरक्षा विशेषज्ञ (जेएनसीएसएस) 6. प्रमाणित सूचना प्रणाली सुरक्षा प्रोफेशनल (सीआईएसएसपी) 7. प्रमाणित सूचना सुरक्षा प्रबंधक (सीआईएसएम) 8. जीआईएसी सुरक्षा अनिवार्यताएं (जीएसईसी) 9. ओफेंसिव सिम्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल (ओएससीपी) 10. सिस्को सर्टिफाइड डिज़ाइन प्रोफेशनल (सीसीडीपी) 11. सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल (सीसीएनपी) राउटिंग एवं स्विचिंग या सुरक्षा (प्रमाणन संबंधित मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) द्वारा जारी किया होना चाहिए)</p>	<p>एप्लिकेशन डिलीवरी कंट्रोलर (एडीसी) जैसे सुरक्षा उपकरणों सहित / आईएस ऑडिट विशेष रूप से स्वचालित उपकरणों का उपयोग करके एप्लिकेशन टेस्टिंग / पेनेट्रेशन टेस्टिंग का अनुभव।</p>
वरिष्ठ प्रबंधक साइबर सुरक्षा	एमएमजी स्केल-III	न्यूनतम - 27 वर्ष अधिकतम - 38 वर्ष	<p>अनिवार्य: सरकारी निकाय/ एआईसीटीई/ यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त/ अनुमोदित किसी भी संस्थान/ महाविद्यालय / विश्वविद्यालय से न्यूनतम 60% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ कंप्यूटर विज्ञान/ सूचना प्रौद्योगिकी /</p>	<p>अनिवार्य: निम्नलिखित में से कम से कम एक प्रमाणन: 1. सिस्को प्रमाणित नेटवर्क एसोसिएट (सीसीएनए) 2. सिस्को प्रमाणित नेटवर्क एसोसिएट (सीसीएनए सुरक्षा)</p>	<p>अनिवार्य: आईटी में न्यूनतम 4 वर्ष का अनुभव, जिसमें से कम से कम 2 वर्ष का अनुभव बड़े डेटा सेंटर/ एसओसी/सी-एसओसी में आईटी एवं साइबर सुरक्षा के प्रबंधन में निम्नलिखित कार्यभार का अनुभव-</p>



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

पद का नाम	ग्रेड/स्केल	आयु (01.01.2024 को)	शैक्षणिक योग्यता	प्रमाणन (पंजीकरण की अंतिम तिथि को वैध)	शैक्षणिक योग्यता के उपरांत कार्य अनुभव
			<p>इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक बी.ई./बी.टेक. डिग्री अथवा पूर्णकालिक एम.सी.ए.।</p> <p>वांछित: सरकारी निकाय/ एआईसीटीई/ यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त/ अनुमोदित किसी भी संस्थान/ महाविद्यालय / विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान / सूचना प्रौद्योगिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्युनिकेशन इंजीनियरिंग में पूर्णकालिक एम.टेक. डिग्री ।</p>	<p>3. चेक प्वाइंट प्रमाणित सुरक्षा विशेषज्ञ (सीसीएसई)</p> <p>4. पालो ऑल्टो नेटवर्क्स प्रमाणित नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर (पीसीएनएसई)</p> <p>5. जुनिपर नेटवर्क्स प्रमाणित सुरक्षा विशेषज्ञ (जेएनसीएसएस)</p> <p>6. प्रमाणित सूचना प्रणाली सुरक्षा प्रोफेशनल (सीआईएसएसपी)</p> <p>7. प्रमाणित सूचना सुरक्षा प्रबंधक (सीआईएसएम)</p> <p>8. जीआईएसी सुरक्षा अनिवार्यताएं (जीएसईसी)</p> <p>9. ओफेंसिव सिक्यूरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल (ओएससीपी)</p> <p>10. सिस्को सर्टिफाइड डिज़ाइन प्रोफेशनल (सीसीडीपी)</p> <p>11. सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल (सीसीएनपी)</p> <p>राउटिंग एवं स्विचिंग या सुरक्षा (प्रमाणन संबंधित मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) द्वारा जारी किया होना चाहिए)</p>	<p>सिक्योरिटी इंसिडेंस इवेंट मैनेजमेंट (एसआईईएम) / पेरिमीटर सिक्योरिटी - फायरवाल्स/ एनआईपीएस/ एंटी-डीडीओएस/ डब्ल्यूएएफ/ एप्लिकेशन डिलीवरी कंट्रोलर (एडीसी)/ नेटवर्क डिटेक्शन एंड रिस्पोंस / थ्रेट हंटिंग जैसे सुरक्षा उपकरणों सहित / आईएस ऑडिट विशेष रूप से स्वचालित उपकरणों का उपयोग करके एप्लिकेशन टेस्टिंग / पेनेट्रेशन टेस्टिंग का अनुभव।</p>



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

उपर्युक्त मामलों में जहां शैक्षणिक योग्यता के लिए मानदंड के रूप में एमबीए या पीजीडीएम या समकक्ष का उल्लेख किया गया है, निम्नलिखित दिशानिर्देश लागू होंगे:

क. पाठ्यक्रम 02 वर्ष की अवधि का होना चाहिए।

ख. पाठ्यक्रम पूर्णकालिक होना चाहिए। पत्राचार/अंशकालिक/दूरस्थ माध्यम से पूरे किए गए पाठ्यक्रम पर विचार नहीं किया जाएगा।

ग. दोहरी विशेषज्ञता के मामले में, विशेषज्ञता के दो क्षेत्रों में से कोई एक, पद के लिए निर्धारित क्षेत्र में किया जाना चाहिए। समान भार के साथ दोहरी विशेषज्ञता मान्य होगी।

घ. प्रमुख/सूक्ष्म विशेषज्ञता के मामले में, प्रमुख विशेषज्ञता पद के लिए निर्धारित क्षेत्र में होनी चाहिए।

ङ. एमबीए या पीजीडीएम या समकक्ष में दो से अधिक विशेषज्ञता या सामान्य एमबीए या पीजीडीएम या समकक्ष वाले अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

च. संस्थान/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय सरकारी निकाय/एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमोदित होना चाहिए।

नोट:

क. पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का स्तर न्यूनतम है। उम्मीदवारों के पास **पंजीकरण की अंतिम तिथि अर्थात 25.02.2024** को उपर्युक्त योग्यता/ प्रमाणन/ शैक्षणिक योग्यता के उपरांत कार्य अनुभव अवश्य होना चाहिए तथा विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान से जारी अंक तालिका एवं अनंतिम प्रमाणपत्र/डिग्री प्रमाणपत्र/ पाठ्यक्रम पूरा होने का प्रमाणन प्रमाणपत्र एवं शैक्षिक योग्यता के बाद संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। **25.02.2024 को या उससे पहले निर्धारित अर्हता एवं प्रमाणन का परिणाम घोषित होना चाहिए**। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि **प्रमाणपत्र 25.02.2024 को वैध हो**। परिणाम की घोषणा की सही तिथि डिग्री प्रमाण पत्र या विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान द्वारा जारी किसी अन्य प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लिखित होनी चाहिए अन्यथा, पात्रता तय करने के लिए अंकपत्र /प्रोविजनल सर्टिफिकेट/डिग्री सर्टिफिकेट पर प्रदर्शित तिथि को पात्रता हेतु मान्य समझा जाएगा। इस मामले में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

ख. अभ्यर्थी को विशेष रूप से ऑनलाइन आवेदन में स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत को निकटतम दो दशमलवों तक परिकलित करना होगा। जहां सीजीपीए/ओजीपीए या अन्य कोई ग्रेड प्रदान किया जाता है, उसे प्रतिशत में परिवर्तित करना होगा एवं ऑनलाइन आवेदन में दर्शाना होगा। अभ्यर्थी को अन्य बातों के साथ-साथ उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें ग्रेड को प्रतिशत में बदलने के संबंध में विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय के मानदंड एवं मानदंडों के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत लिखा हो।

ग. **प्रतिशत की गणना:** प्रतिशत अंक सभी विषयों में सभी सेमेस्टर (र्स) / वर्ष (र्षों) में उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों को सभी विषयों में कुल अधिकतम अंकों से विभाजित करके प्राप्त किया जाएगा, भले ही ऑनर्स/ वैकल्पिक / अतिरिक्त वैकल्पिक विषय, यदि कोई हो। यह उन विश्वविद्यालयों के लिए भी लागू होगा जहां कक्षा/ग्रेड का निर्धारण केवल ऑनर्स अंकों के आधार पर किया जाता है।

घ. प्रतिशत के अंश को अनदेखा कर दिया जाएगा अर्थात 59.99% को 60% से कम माना जाएगा ।

2.3 कार्य भूमिकाएँ एवं कौशल सेट

पद का नाम	कार्य भूमिकाएँ (सांकेतिक)	कौशल सेट
अधिकारी ऋण	क्रेडिट वर्टिकल, कॉर्पोरेट शाखाएँ, व्यापार वित्त केंद्र, वित्त प्रभाग, कॉर्पोरेट क्रेडिट प्रभाग, अन्य क्रेडिट प्रभाग	-
प्रबंधक फॉरेक्स	एडी शाखाओं/ बैंक ऑफिस/ प्रशासनिक कार्यालयों में फॉरेक्स से संबंधित लेनदेन का प्रबंधन	-



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

पद का नाम	कार्य भूमिकाएँ (सांकेतिक)	कौशल सेट
प्रबंधक साइबर सुरक्षा	<p>साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीसीओई)/ साइबर सिक्योरिटी एनालिटिक्स सेंटर/ एसओसी में शिफ्ट ड्यूटी (रात की शिफ्ट सहित) में काम करना होगा।</p> <p>साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सी-एसओसी) एवं एसआईईएम का प्रबंधन, सञ्चालन एवं निगरानी, साइबर सुरक्षा घटना का विश्लेषण एवं / या परिधि सुरक्षा घटकों जैसे फायरवॉल, एनआईपीएस, डीडीओएस / डब्ल्यूएएफ, एडीसी या किसी भी अन्य निवारक डिटेक्टिव साइबर सिक्योरिटी घटकों का संचालन एवं निगरानी और आवश्यकता के अनुसार आवंटित कोई अन्य कार्य।</p>	<p>अनिवार्य: निम्न में व्यावहारिक अनुभव</p> <p>क. फ़ायरवॉल नियम आधार का कॉन्फ़िगरेशन, एनआईपीएस नीति, फ़ायरवॉल नियम आधारित परिनियोजन, एनआईपीएस नीति परिनियोजन, वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल नीति परिनियोजन।</p> <p>ख. विभिन्न निवारक/जासूसी साइबर सुरक्षा घटकों, एप्लिकेशन डिलीवरी कंट्रोलर (एडीसी) का प्रबंधन एवं निगरानी।</p> <p>ग. साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सी-एसओसी) एवं एसआईईएम समाधान का प्रबंधन, संचालन एवं निगरानी।</p> <p>वांछित:</p> <p>क. एक बड़े प्रबंधित सुरक्षा सेवा प्रदाता (एमएसएसपी), बड़े इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) से संबंधित नेटवर्क/साइबर सुरक्षा परिनियोजन परियोजना, नेटवर्क सुरक्षा टीम लीड/ एसओसी/सी-एसओसी/नेटवर्क सुरक्षा/ बड़े निजी/ पीएसयू बैंक/ बीएफएसआई के डेटा सेंटर नेटवर्क में एल2 स्तर का अनुभव।</p> <p>ख. आईएस ऑडिट विशेष रूप से स्वचालित उपकरणों का उपयोग करके एप्लिकेशन परीक्षण/ प्रवेश परीक्षण में अनुभव</p>
वरिष्ठ प्रबंधक साइबर सुरक्षा	<p>साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीसीओई)/ साइबर सिक्योरिटी एनालिटिक्स सेंटर/ एसओसी में शिफ्ट ड्यूटी (रात की शिफ्ट सहित) में काम करना होगा।</p> <p>साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सी-एसओसी) और एसआईईएम समाधान का प्रबंधन, सञ्चालन एवं निगरानी, साइबर सुरक्षा घटनाओं का विश्लेषण और/ या परिधि सुरक्षा घटकों जैसे फायरवॉल, एनआईपीएस, डीडीओएस/डब्ल्यूएएफ, एडीसी या अन्य किसी निवारक जासूसी साइबर सुरक्षा घटक का प्रबंधन एवं संचालन/ साइबर सुरक्षा नीति की तैयारी, बेस लाइन हार्डनिंग दस्तावेजों का निर्माण, ग्रेट हंटिंग, वास्तविक समय में निगरानी एवं प्रबंधन को रिपोर्ट करना और संगठन की आवश्यकता के अनुसार आवंटित कोई अन्य कार्य।</p>	<p>अनिवार्य: निम्न में व्यावहारिक अनुभव</p> <p>क. फ़ायरवॉल नियम आधार का कॉन्फ़िगरेशन, एनआईपीएस नीति, फ़ायरवॉल नियम आधारित परिनियोजन, एनआईपीएस नीति परिनियोजन, वेब एप्लिकेशन फ़ायरवॉल नीति परिनियोजन।</p> <p>ख. विभिन्न निवारक/ जासूसी साइबर सुरक्षा घटकों, एप्लिकेशन डिलीवरी कंट्रोलर (एडीसी) का प्रबंधन एवं निगरानी।</p> <p>ग. साइबर सुरक्षा संचालन केंद्र (सी-एसओसी) एवं एसआईईएम समाधान का प्रबंधन, संचालन एवं निगरानी।</p> <p>वांछित:</p> <p>क. एक बड़े प्रबंधित सुरक्षा सेवा प्रदाता (एमएसएसपी), बड़े इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) से संबंधित नेटवर्क/साइबर सुरक्षा परिनियोजन परियोजना, नेटवर्क सुरक्षा टीम लीड/ एसओसी/सी-एसओसी/नेटवर्क सुरक्षा/ बड़े निजी/ पीएसयू बैंक/ बीएफएसआई के डेटा सेंटर नेटवर्क में एल3 स्तर का अनुभव।</p> <p>ख. आईएस ऑडिट विशेष रूप से स्वचालित उपकरणों का उपयोग करके एप्लिकेशन परीक्षण/प्रवेश परीक्षण में अनुभव</p>



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

2.4 ऊपरी आयु सीमा में छूट

क्रम	श्रेणी	आयु में छूट
(i)	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	05 वर्ष
(ii)	अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर-क्रीमी लेयर)	03 वर्ष
(iii)	"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" के अंतर्गत परिभाषित बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति	10 वर्ष
(iv)	भूतपूर्व सैनिक, कमीशन अधिकारी जिनमें आपातकालीन कमीशन अधिकारी (ईसीओ)/शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी (एसएससीओ) शामिल हैं, जिन्होंने कम से कम 5 वर्ष की सैन्य सेवा प्रदान की है एवं सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अधिकतम सीमा के अधीन, असाइनमेंट पूरा होने पर मुक्त कर दिया गया है (उन लोगों सहित जिनका असाइनमेंट आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाना है) अन्यथा जिनकी बर्खास्ती अथवा सेवामुक्ति कदाचार के कारण अथवा अक्षमता अथवा सैन्य सेवा के कारण हुई शारीरिक दिव्यांगता अथवा अशक्तता के कारण हुई हो।	05 वर्ष
(v)	1984 के दंगों से प्रभावित व्यक्ति	05 वर्ष

नोट:

- क. उपर्युक्त 2.2 में निर्दिष्ट अधिकतम आयु सीमा अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लागू है।
- ख. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट केवल शेष श्रेणियों में से एक के साथ संचयी आधार पर दी जाती है जिसके लिए आयु में छूट बिंदु संख्या 2.4 (iii) से (v) में उल्लेखित अनुसार अनुमति है।
- ग. आयु में छूट/अन्य लाभ चाहने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय एवं भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में बैंक द्वारा मांगे जाने पर अपेक्षित मूल/प्रतियों में आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता होगी, ऐसा नहीं करने पर उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी /उनकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।
- घ. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति / श्रेणी प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। ओबीसी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में, प्रमाण पत्र में विशेष रूप से एक क्लॉज़ होना चाहिए कि उम्मीदवार भारत सरकार के अंतर्गत सिविल पद एवं सेवाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के लाभों से बाहर क्रीमी लेयर वर्ग से संबंधित नहीं है। उम्मीदवार के पास समय-समय पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-क्रीमी लेयर क्लॉज़ के साथ एक वैध ओबीसी प्रमाणपत्र होना चाहिए। ओबीसी श्रेणी से संबंधित लेकिन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवार ओबीसी आरक्षण के हकदार नहीं हैं। उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित के रूप में दर्शानी चाहिए।
- ङ. भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के लिए उपलब्ध छूट / अन्य लाभों का लाभ उठाने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार के दौरान या भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में बैंक द्वारा मांगे जाने पर निर्वहन प्रमाण पत्र / सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें वर्णित होगा कि वे 24.02.2025 को या उससे पहले कार्यमुक्त होने वाले हैं, प्रस्तुत करना होगा और ऐसा न करने पर उन्हें साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी/ उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

2.5 परिभाषाएं

(क) भूतपूर्व सैनिक (ExSM):

- (i) केवल उन उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा जो समय-समय पर संशोधित भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग अधिसूचना संख्या 36034/5/85/स्था. (एससीटी) दिनांक 27.10.1986 में निर्धारित संशोधित परिभाषा को पूरा करते हैं।
- (ii) एक भूतपूर्व सैनिक के रूप में उसे उसके पुनर्नियुक्ति के लिए दी गई सुविधा का लाभ उठाने के बाद सिविल पक्ष में नौकरी, सरकारी नौकरियों में पुनर्नियुक्ति के उद्देश्य से उसका भूतपूर्व सैनिक का दर्जा समाप्त हो जाता है। हालांकि, यदि कोई भूतपूर्व सैनिक किसी सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी उत्तरवर्ती रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है। लेकिन, इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, एक भूतपूर्व सैनिक जैसे ही वह किसी भी सिविल रोजगार में कार्यग्रहण करता है, उसे संबंधित नियोक्ता को विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन के दिनांक-वार विवरण के बारे में स्व-घोषणा/वचनबद्धता देनी चाहिए जिसके लिए प्रारंभिक सिविल रोजगार में कार्यग्रहण करने से पूर्व आवेदन किया गया है। इसके अलावा, यह लाभ केवल उन रिक्तियों के संबंध में उपलब्ध होगा जो सीधी भर्ती पर भरी जाती हैं एवं जहां भी भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण लागू होता है। **अधिकारी संवर्ग में पूर्व सैनिकों के लिए भर्ती में कोई आरक्षण नहीं है।**

(ख) बेंचमार्क अक्षमता वाले व्यक्ति:

"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" की धारा 34 के अंतर्गत बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति आरक्षण के लिए पात्र हैं। आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 की अनुसूची में यथापरिभाषित एवं समय-समय पर दिव्यांगजन के सशक्तिकरण विभाग द्वारा अधिसूचित दिव्यांगों की श्रेणियों के अंतर्गत व्यक्तियों के लिए उपरोक्त पदों को उपयुक्त समझा गया है।

I. "ओसी" श्रेणी: मस्क्युलोस्केलेटल या तंत्रिका तंत्र या दोनों की पीड़ा के परिणामस्वरूप स्वयं एवं वस्तुओं की गति से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों को निष्पादित करने में एक व्यक्ति की अक्षमता, जिसमें कुष्ठ रोगमुक्त, सेरेब्रल पाल्सी, बौनापन, मस्क्युलर डिस्ट्रॉफी एवं एसिड अटैक पीड़ित शामिल हैं। अस्थि दिव्यांग व्यक्तियों को निम्न बेंचमार्क के साथ गतिशील दिव्यांगता के अंतर्गत कवर किया गया है:

क. "कुष्ठ रोगमुक्त व्यक्ति" का अर्थ है वह व्यक्ति जो कुष्ठ रोग से ठीक हो गया है लेकिन निम्न से पीड़ित है:

- i. हाथों या पैरों में संवेदना की कमी के साथ-साथ आंख एवं पलक में संवेदना एवं पैरेसिस की कमी लेकिन कोई प्रकट विकृति नहीं;
- ii. प्रकट विकृति एवं पैरेसिस हो लेकिन उनके हाथों एवं पैरों में पर्याप्त गतिशीलता हो ताकि वे सामान्य आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हो सकें;
- iii. अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ-साथ अधिक आयु जो उसे किसी भी लाभकारी व्यवसाय को करने से रोकती है, एवं "कुष्ठ रोगमुक्त" का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा;

ख. "सेरेब्रल पाल्सी" का अर्थ शरीर की गतिविधियों एवं मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करने वाली गैर-प्रगतिशील न्यूरोलॉजिकल स्थितियों का एक समूह है, जो मस्तिष्क के एक या अधिक विशिष्ट क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाता है, जो सामान्यतः जन्म से पहले, उसके दौरान या उसके तुरंत बाद होता है;



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

ग. "बौनापन" का अर्थ एक चिकित्सा या आनुवंशिक स्थिति है जिसके परिणामस्वरूप 4 फीट 10 इंच (147 सेंटीमीटर) या उससे कम की वयस्क ऊंचाई होना है;

घ. "मस्क्युलर डिस्ट्रोफी" का अर्थ वंशानुगत आनुवंशिक मांसपेशियों की बीमारी का एक समूह है जो मानव शरीर को गति देने वाली मांसपेशियों को कमजोर करता है एवं कई डिस्ट्रोफी वाले व्यक्तियों के जीन में गलत एवं सूचना अनुपलब्ध होती है, जो उन्हें स्वस्थ मांसपेशियों के लिए आवश्यक प्रोटीन बनाने से रोकती है। यह प्रगतिशील कंकाल की मांसपेशियों की कमजोरी, मांसपेशियों के प्रोटीन में दोष एवं मांसपेशियों की कोशिकाओं एवं ऊतकों की मृत्यु की विशेषता है;

ङ. "एसिड अटैक पीड़ित" का अर्थ है तेजाब या इसी तरह के संक्षारक पदार्थ को फेंकने से हिंसक हमलों के कारण विकृत व्यक्ति।

II. "VI" श्रेणी (दृष्टिबाधित): केवल वे दृष्टिबाधित (VI) व्यक्ति जो निम्नलिखित में से किसी एक स्थिति से पीड़ित हैं, सर्वोत्तम सुधार के बाद, आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

क. अंधापन:

- दृष्टि की पूर्ण अनुपस्थिति; या
- दृश्य तीक्ष्णता 3/60 से कम या 10/200 से कम (स्त्रेलन) बेहतर आँख में सर्वोत्तम संभव सुधार के साथ; या
- दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से कम के कोण में घटना।

ख. कम दृष्टि:

- दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अधिक या 20/60 से कम 3/60 तक या 10/200 (स्त्रेलन) तक बेहतर आँख में सर्वोत्तम संभव सुधारों के साथ; या
- दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से कम के कोण को 10 डिग्री तक घटना।

III. "HI" श्रेणी (श्रवण बाधित):

क. बधिर (डीफ): इसका अर्थ है कि दोनों कानों में वाणी आवृत्तियों में 70 डीबी श्रवण हानि वाले व्यक्ति।

ख. सुनने में मुश्किल: इसका अर्थ है कि दोनों कानों में वाणी आवृत्तियों में 60 डीबी से 70 डीबी श्रवण कमी वाले व्यक्ति।

IV. "आईडी" श्रेणी: केवल वे व्यक्ति, जो निम्न में से किसी एक प्रकार की अक्षमता से पीड़ित हैं, इस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने के पात्र हैं:

क. बौद्धिक दिव्यांगता:

- "ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर" (एसडी) का अर्थ है एक न्यूरो-डेवलपमेंटल स्थिति जो सामान्यतः जीवन के पहले तीन वर्षों में दिखाई देती है जो किसी व्यक्ति की संवाद करने, रिश्तों को समझने एवं दूसरों से संबंधित होने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है, एवं अक्सर असामान्य या रूढ़िवादी अनुष्ठानों या व्यवहारों से जुड़ी होती है।
- "विशिष्ट सीखने की अक्षमता" (एसएलडी) का अर्थ परिस्थितियों का एक विषम समूह है, जिसमें बोली जाने वाली या लिखित भाषा को संसाधित करने में कमी होती है, जो खुद को समझने, बोलने, पढ़ने, लिखने, वर्तनी या गणितीय गणना करने में कठिनाई के रूप में प्रकट हो सकती है एवं अवधारणात्मक



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

अक्षमता, डिस्लेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्केलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया एवं विकासात्मक वाचाघात जैसी स्थितियां शामिल हैं।

- iii. **"मानसिक बीमारी" (एमआई)** का अर्थ है सोच, मनोदशा, धारणा, अभिविन्यास या स्मृति का एक बड़ा विकार जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को बुरी तरह से प्रभावित करता है, लेकिन इसमें मंदता शामिल नहीं है जो किसी व्यक्ति के दिमाग के अवरुद्ध या अपूर्ण विकास की स्थिति है जो, विशेष रूप से बुद्धि की उप सामान्यता द्वारा लक्षित होती है।

ख. **"एकाधिक दिव्यांगताओं"** का अर्थ है पैरा 2.5 (ख) के खंड "I"; "II"; "III"; "IV(क)" के बीच कई अक्षमताएँ।

नोट:

- क. डीओपीएंडटी ने ओएम संख्या 36035/8/2023-स्था. (Res-II) दिनांक 19.05.2023 के माध्यम से, विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) के साथ परामर्श करते हुए, यह सलाह दी है कि विकलांगता के अस्थायी प्रमाण पत्र के आधार पर उन नौकरियों में आरक्षण का लाभ देना उचित नहीं होगा जो स्थायी प्रकृति की हैं क्योंकि इससे अपरिवर्तनीय स्थायी विकलांगता के साथ बेंचमार्क विकलांगता वाले वास्तविक व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- ख. केवल बेंचमार्क अक्षमता वाले व्यक्ति ही आरक्षण के लिए पात्र होंगे। "बेंचमार्क अक्षमता" वाले व्यक्ति का अर्थ है एक निर्दिष्ट दिव्यांगता के न्यूनतम 40% वाला व्यक्ति, जहां निर्दिष्ट दिव्यांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित नहीं किया गया है एवं इसमें दिव्यांगता वाले व्यक्ति शामिल हैं, जहां दिव्यांगता को मापने योग्य शर्तों में परिभाषित किया गया है, जैसा कि प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।
- ग. जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेना चाहता है, उन्हें भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी **स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना होगा। ऐसा प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किए गए सत्यापन/पुनः सत्यापन के अधीन होगा।
- घ. बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आवंटन "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" में निर्धारित एवं बैंक द्वारा निर्धारित रिक्तियों के अनुसार होगा।

(ग) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण:

- (i) ऐसे व्यक्ति जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं एवं जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय रु० 8.00 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है, उन्हें आरक्षण के लाभ हेतु ईडब्ल्यूएस के रूप में चिन्हित किया जाएगा। आय में सभी स्रोतों अर्थात वेतनमान, कृषि, कारोबार, पेशे आदि से प्राप्त आय शामिल होगी एवं यह **आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष की आय** होगी। साथ ही जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है या धारित है, उन्हें परिवार की आय पर ध्यान दिए बिना ईडब्ल्यूएस के रूप में चिन्हित किये जाने से बाहर रखा जाएगा:

- 5 एकड़ एवं उससे अधिक कृषि भूमि;
- 1000 वर्ग फुट एवं उससे ऊपर का आवासीय फ्लैट;
- अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज एवं उससे अधिक के आवासीय भूखंड;
- अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज एवं उससे अधिक के आवासीय भूखंड।

- (ii) एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न जगहों / शहरों में रखी गई संपत्ति को ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय जोड़ा जाएगा।



**मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075**

(iii) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी एक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आरक्षण का लाभ उठाया जा सकता है और केवल यही ईडब्ल्यूएस से संबंधित उम्मीदवार के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

(iv) इस प्रयोजन हेतु "परिवार" शब्द में वह व्यक्ति शामिल होगा, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता एवं 18 वर्ष से कम उम्र के भाई-बहन एवं उसके जीवनसाथी एवं 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ।

अस्वीकरण: ईडब्ल्यूएस रिक्तियां संभावित हैं एवं भारत सरकार के अगले निर्देशों एवं किसी भी मुकदमे के परिणाम के अधीन हैं। ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के संदर्भ में परिवर्तन के अधीन हैं।

3. चयन प्रक्रिया

3.1 चयन, बैंक के विवेकाधीन, प्रत्येक पद के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर, ऑनलाइन लिखित परीक्षा एवं उसके बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार या केवल व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित होगा।

परिदृश्य 1. ऑनलाइन लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार:

I. **ऑनलाइन लिखित परीक्षा:** यदि बैंक ऑनलाइन लिखित परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेता है, तो परीक्षा की संरचना निम्नानुसार होगी:

भाग	परीक्षा का नाम	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक*	अवधि
भाग I	तार्किक क्षमता	25	25	120 मिनट
	अंग्रेजी भाषा	25	25	
	मात्रात्मक अभिक्षमता	50	50	
भाग II	व्यावसायिक ज्ञान	50	100	

*प्रत्येक प्रश्न, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा गलत उत्तर दिया गया है, सही अंक प्राप्त करने के लिए उस प्रश्न को दिए गए अंकों में से एक चौथाई अंक दंड के रूप में काट लिया जाएगा।

अभ्यर्थियों को भाग-I की सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करनी होंगी। भाग-II अर्थात व्यावसायिक ज्ञान परीक्षण का मूल्यांकन केवल उन अभ्यर्थियों के लिए किया जाएगा जो भाग-I के प्रत्येक पेपर में उत्तीर्ण होंगे। प्रत्येक व्यक्तिगत परीक्षा में न्यूनतम योग्यता अंक अभ्यर्थियों की सामूहिक प्रतिक्रिया के आधार पर बैंक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

II. **व्यक्तिगत साक्षात्कार:** बैंक द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार निम्नलिखित पद्धति से आयोजित किया जाएगा:

- उम्मीदवार जो भाग-I में बैंक द्वारा तय किए गए न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करते हैं, उनके द्वारा भाग - II अर्थात व्यावसायिक ज्ञान परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार तैयार की गई मेरिट के आधार पर साक्षात्कार हेतु शॉर्टलिस्टिंग के लिए मान्य होगा, बशर्ते वे संबंधित पद के लिए शैक्षिक योग्यता एवं शैक्षिक योग्यता के उपरांत कार्य अनुभव से संबंधित अन्य पात्रता मानदंड को पूरा करते हों।
- उपर्युक्त के अनुसार बनाई गई मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की पात्रता के समर्थन में दस्तावेज एकत्र किए जाएंगे एवं केवल उन उम्मीदवारों को ही, जो संबंधित पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार पात्र पाए गए हैं, जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
- व्यक्तिगत साक्षात्कार **50 अंकों** का होगा। साक्षात्कार में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता अंक 45% अर्थात 22.50 एवं अन्य उम्मीदवारों के लिए 50% अर्थात 25 होंगे।



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

- iv. व्यक्तिगत साक्षात्कार में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन लिखित परीक्षा भाग- II अर्थात व्यावसायिक ज्ञान परीक्षा एवं साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर नियुक्ति प्रस्ताव निर्गत करने के लिए अनंतिम रूप से चयन किया जाएगा। एक उम्मीदवार को ऑनलाइन लिखित परीक्षा के साथ-साथ साक्षात्कार, दोनों में अर्हता प्राप्त करनी होगी एवं बाद में अनंतिम नियुक्ति हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने के लिए मेरिट में होना चाहिए।

परिदृश्य 2. आवेदनों की शॉर्टलिस्टिंग के पश्चात साक्षात्कार

बैंक द्वारा व्यक्तिगत साक्षात्कार निम्नलिखित तरीके से आयोजित किया जाएगा:

- उम्मीदवारों की पात्रता के समर्थन में दस्तावेज, प्रस्तुत किए गए सफल आवेदनों के आधार पर, उपयुक्त स्तर पर एकत्र किए जाएंगे एवं केवल वे उम्मीदवार जो प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर संबंधित पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड के अनुसार पात्र पाए जाते हैं, को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
- व्यक्तिगत साक्षात्कार **50 अंकों** का होगा। साक्षात्कार में न्यूनतम योग्यता अंक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 45% अर्थात 22.50 एवं अन्य उम्मीदवारों के लिए 50% अर्थात 25 होंगे।
- व्यक्तिगत साक्षात्कार में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को साक्षात्कार में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने के लिए अनंतिम रूप से चुना जाएगा। अतः किसी उम्मीदवार को साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त करनी होगी एवं बाद में अनंतिम नियुक्ति हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने के लिए मेरिट में होना चाहिए।

3.2 परीक्षा केंद्र - ऑनलाइन परीक्षा (अस्थायी सूची)

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	ऑनलाइन परीक्षा केंद्र
आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा, विज़ाग
असम	डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहाट, सिलचर
बिहार	आरा, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना, पुरनिया
छत्तीसगढ़	बिलासपुर, रायपुर
दिल्ली	दिल्ली/ नई दिल्ली/ एनसीआर
गुजरात	अहमदाबाद/ गांधीनगर, राजकोट, सूरत, वडोदरा
हरियाणा	हिसार, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र
हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर, मंडी, शिमला, सोलन
जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू, श्रीनगर
झारखंड	बोकारो, रांची
कर्नाटक	बेंगलुरु, हुबली-धारवाड़
केरल	एर्नाकुलम, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम
मध्य प्रदेश	भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन
महाराष्ट्र	मुंबई/ नवी मुंबई/ ठाणे/ एमएमआर, नागपुर, नासिक, पुणे, कोल्हापुर
मणिपुर	इंफाल
ओडिशा	बालासोर, बेरहामपुर (गंजम), भुवनेश्वर, कटक, संबलपुर
पंजाब	अमृतसर, भटिंडा, जालंधर, लुधियाना, मोहाली, पटियाला
राजस्थान	अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, उदयपुर
तमिलनाडु	चेन्नई, कोयंबटूर, त्रिची
तेलंगाना	हैदराबाद



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश	ऑनलाइन परीक्षा केंद्र
त्रिपुरा	अगरतला
उत्तर प्रदेश	आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा, प्रयागराज (इलाहाबाद), सीतापुर, वाराणसी
उत्तराखंड	देहरादून, हलद्वानी, रूड़की
पश्चिम बंगाल	आसनसोल, बर्धमान, दुर्गापुर, कल्याणी, कोलकाता, सिलीगुड़ी

नोट:

- क. अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया, प्रशासनिक व्यवहार्यता आदि के आधार पर, बैंक उपर्युक्त किसी भी केंद्र को रद्द करने एवं/या कुछ अन्य केंद्र जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- ख. अभ्यर्थियों को अपने स्वयं के खर्च पर आवंटित केंद्र पर ऑनलाइन परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा एवं बैंक किसी भी प्रकार की चोट या हानि आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- ग. परीक्षा की तिथि अस्थायी है। परीक्षा की सटीक तिथि/केंद्र/ परीक्षा के स्थान के लिए कॉल लेटर के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो तो बैंक परीक्षा की तिथि/केंद्र को रद्द करने या उसमें कोई बदलाव करने/चयन प्रक्रिया में बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- घ. परीक्षा केंद्र के अंदर निम्नलिखित वस्तुओं की अनुमति नहीं है: -

- कोई भी स्टेशनरी वस्तु जैसे पाठ्य सामग्री (मुद्रित या लिखित), कागज के टुकड़े, ज्योमेट्री/पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, कैलकुलेटर, स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन/स्कैनर आदि।
- कोई भी संचार उपकरण जैसे ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड आदि।
- अन्य वस्तुएँ जैसे चश्मा, हैंडबैग, हेयर-पिन, हेयर-बैंड, बेल्ट, टोपी, आदि।
- अंगूठी, कान की बाली, नोज-पिन, चेन/हार, पेंडेंट, बैज, ब्रोच इत्यादि जैसे सभी आभूषणों की अच्छी तरह से जांच की जायेगी।
- कोई भी घड़ी/कलाई घड़ी, कैमरा, आदि।
- कोई भी धातु की वस्तु
- कोई भी खाने योग्य वस्तु खुली या पैक की गई
- कोई अन्य वस्तु जिसका उपयोग संचार उपकरणों जैसे कैमरा, ब्लूटूथ उपकरण आदि को छिपाने के लिए अनुचित साधनों के रूप में किया जा सकता है।

इन निर्देशों के किसी भी उल्लंघन पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं पर प्रतिबंध तथा पुलिस शिकायतें शामिल हैं। उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रतिबंधित वस्तु को परीक्षा स्थल पर न लाएं, क्योंकि उनके सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। आईबीपीएस या ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने वाली कोई भी एजेंसी किसी भी वस्तु की हानि के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसी भी मूल्य पर या बिना किसी व्यय के उम्मीदवारों की होगी।

- ङ. परीक्षा के प्रशासन में कुछ समस्या होने की संभावना से पूरी तरह से इंकार नहीं किया जा सकता है जो परीक्षा आयोजन एवं/या परिणाम घोषित करने को प्रभावित कर सकता है। उस स्थिति में, ऐसी समस्या को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा, जिसमें आवश्यक समझे जाने पर पुनः परीक्षा आयोजित करना भी शामिल हो सकता है।



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

3.3 ऑनलाइन परीक्षा के लिए स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों के लिए दिशानिर्देश:

भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन कार्य विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन एफ संख्या 16-110/2003-डीडी III दिनांक 26 फरवरी, 2013 के अंतर्गत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तथा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग द्वारा पत्र संख्या 3/2/2013-कल्याण दिनांक 26.04.2013; भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के कार्यालय ज्ञापन एफ संख्या 34-02/2015-डीडी-III दिनांक 29.08.2018 एवं एफ संख्या 29-6/2019-डीडी-III दिनांक 10.08.2022 द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार स्क्राइब का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे सभी मामलों में जहां किसी स्क्राइब का उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

- क. अभ्यर्थी को अपने व्यय पर अपने स्क्राइब की व्यवस्था करनी होगी।
- ख. ओएम एफ संख्या 29-6/2019-डीडी-III दिनांक 10.08.2022 के अनुसार स्क्राइब की सहायता लेने वाले अभ्यर्थियों को, इस आशय हेतु ऑनलाइन परीक्षा के समय स्क्राइब सुविधा की अनुमति दी जाएगी कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में परेशानी होती है तथा इन्हें परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है जोकि परिशिष्ट I के रूप में संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी की ओर से प्रमाणित किया जाएगा।
- ग. स्क्राइब की शैक्षिक स्टीम पद के लिए निर्धारित शैक्षिकस्टीम से अलग होनी चाहिए। उम्मीदवार एवं स्क्राइब दोनों को यह पुष्टि करते हुए एक उपयुक्त वचनबंध देना होगा कि स्क्राइब ऊपर उल्लिखित स्क्राइब के लिए सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। इसके अलावा यदि बाद में यह पता चलता है कि उसने किसी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया है या भौतिक तथ्यों को छुपाया है, तो परीक्षा के परिणाम के बावजूद, आवेदक की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- घ. वे उम्मीदवार जो स्क्राइब का उपयोग करते हैं, परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट (या अन्यथा दी गयी सलाह) के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे।
- ङ. यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपर्युक्त का उल्लंघन पाया जाता है तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। परीक्षा में स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने के इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसे सावधानीपूर्वक इंगित करना होगा। किसी भी उत्तरवर्ती अनुरोध पर अनुकूल रूप से विचार नहीं किया जायेगा।
- च. केवल प्रतिपूरक समय (ऑनलाइन पंजीकरण के समय) के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों को ही ऐसी रियायतों की अनुमति दी जाएगी क्योंकि उम्मीदवारों को दिया गया प्रतिपूरक समय प्रणाली आधारित होगा, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी के लिए ऐसा समय देना संभव नहीं होगा यदि वह इसके लिए पंजीकृत नहीं है।
- छ. परीक्षा के दौरान, किसी भी स्तर पर, यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, तो परीक्षा का सत्र समाप्त कर दिया जाएगा एवं उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। एक स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जाएगी यदि परीक्षण प्रशासक कार्मिकों द्वारा परीक्षा के बाद यह सूचित किया जाता है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया है।

3.3.1 लोकोमोटर दिव्यांगता एवं सेरेब्रल पाल्सी वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

लोकोमोटर दिव्यांगता एवं सेरेब्रल पाल्सी वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट (या अन्यथा दी गयी सलाह) के प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी, जहां प्रभावी (लेखन) चरम कार्य के प्रदर्शन को धीमा करने की सीमा तक प्रभावित होता है (न्यूनतम 40% क्षति)।

3.3.2 दृष्टिबाधित (VI) अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

दृष्टिबाधित उम्मीदवार (जो कम से कम 40% दिव्यांगता से पीड़ित हैं) परीक्षा की सामग्री को आवर्धित फ़ॉन्ट में देखने का विकल्प चुन सकते हैं एवं ऐसे सभी उम्मीदवार प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट (या अन्यथा दी गयी सलाह) के प्रतिपूरक समय के लिए पात्र होंगे। परीक्षा की सामग्री को आवर्धक फ़ॉन्ट में देखने की सुविधा उन दृष्टिबाधित उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध नहीं होगी जो परीक्षा के लिए स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करते हैं।



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

3.3.3 बौद्धिक दिव्यांगता (आईडी) वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशानिर्देश

स्क्राइब की सहायता लेने वाले या न लेने वाले, 40% से अधिक बौद्धिक अक्षमता (ऑटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट सीखने की दिव्यांगता एवं मानसिक बीमारी) वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रति घंटे के लिए बीस मिनट के प्रतिपूरक समय की अनुमति दी जाएगी।

नोट: ये दिशानिर्देश समय-समय पर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/स्पष्टीकरणों, यदि कोई हो, के संदर्भ में परिवर्तन के अधीन हैं।

3.4 व्यक्तिगत साक्षात्कार से पहले प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज़

उम्मीदवार की पात्रता एवं पहचान के समर्थन में स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के साथ मूल रूप से निम्नलिखित दस्तावेजों को साक्षात्कार के समय या बैंक द्वारा आवश्यकता होने पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा न करने पर उसकी उम्मीदवारी को भर्ती प्रक्रिया में आगे भाग लेने से वंचित कर दिया जाएगा।

- i. वैध साक्षात्कार कॉल लेटर का प्रिंटआउट
- ii. ऑनलाइन आवेदन पत्र का वैध सिस्टम जनित प्रिंटआउट
- iii. जन्मतिथि का प्रमाण (सक्षम नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या जन्मतिथि के साथ एसएसएलसी/कक्षा दसवीं प्रमाण पत्र)
- iv. फोटो पहचान प्रमाण एवं पता प्रमाण (आधिकारिक वैध दस्तावेज)
- v. शैक्षिक योग्यता के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज़: अंतिम डिग्री/डिप्लोमा प्रमाणपत्र सहित शैक्षिक योग्यता के लिए पृथक सेमेस्टर-वार/वर्ष-वार मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र। **25.02.2024** को या उससे पहले विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/ संस्थान से घोषित परिणाम वाले उचित दस्तावेज जमा करने होंगे।
- vi. प्रमाणन के संबंध में पाठ्यक्रम समापन प्रमाणपत्र जहां परिणाम **25.02.2024** को या उससे पहले घोषित किया गया है। यह प्रमाणपत्र 25.02.2024 को वैध होना चाहिए।
- vii. ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों) श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियत प्रारूप में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र (आवेदन की तिथि को मान्य हो)।
- viii. एससी/एसटी/ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों के मामले में, भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियत प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र एवं **प्रमाणपत्र में उल्लिखित जाति का नाम केंद्र सरकार की सूची/अधिसूचना के साथ अक्षरशः मेल खाना चाहिए।**
- ix. ओबीसी श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों के मामले में, जाति प्रमाण पत्र में विशेष रूप से एक खंड शामिल होना चाहिए कि अभ्यर्थी भारत सरकार के अंतर्गत सिविल पद एवं सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के लाभ से बाहर किए गए क्रीमी लेयर वर्ग से संबंधित नहीं है। गैर-क्रीमी लेयर खंड वाला ओबीसी जाति प्रमाण पत्र मांगे जाने पर साक्षात्कार (यदि बुलाया जाये) की तिथि को वैध होना चाहिए।
- x. बेंचमार्क दिव्यांगता श्रेणी वाले व्यक्तियों के मामले में जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी ने ऑनलाइन परीक्षा के समय किसी स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग किया है, तो निर्धारित प्रारूप में स्क्राइब का विधिवत विवरण भरें।
- xi. एक भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय पेंशन भुगतान आदेश एवं अंतिम/वर्तमान में धारित रैंक (मौलिक एवं साथ ही क्रियाशील) के दस्तावेजी प्रमाण के साथ सेवा या डिस्चार्ज बुक की एक प्रति प्रस्तुत करना होगा। जो लोग अभी भी रक्षा सेवा में हैं, उन्हें सक्षम प्राधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें **24.02.2025** को या उससे पहले रक्षा सेवाओं से मुक्त कर दिया जाएगा।
- xii. सरकारी/अर्ध सरकारी कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों सहित) में सेवारत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- xiii. 2.4 (v) के अंतर्गत आयु में छूट के लिए पात्र व्यक्तियों को जिला मजिस्ट्रेट से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

- करना होगा कि वे 1984 के दंगा प्रभावित व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत एवं वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, द्वारा वित्तीय सेवा संचार संख्या एफ.सं.9/21/2006-आईआर दिनांक 27.07.2007 में सूचित पुनर्वास पैकेज के संदर्भ में राहत के लिए पात्र हैं।
- xiv. उपर्युक्त बिंदु संख्या 2.1 की श्रेणियों (ii), (iii), (iv) एवं (v) में आने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा जारी पात्रता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- xv. घोषित कार्य अनुभव के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज, जिसमें नियुक्ति पत्र, वेतन पर्ची, कार्यमुक्ति पत्र (जहां भी लागू हो) आदि शामिल हैं।
- xvi. पात्रता के समर्थन में कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज।

नोट:

- क. यदि अभ्यर्थी ऊपर उल्लिखित प्रासंगिक पात्रता दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो उन्हें साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बैंक द्वारा मांगे जाने पर प्रासंगिक पात्रता दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए अपात्र हो जाएंगे।
- ख. आरक्षित वर्ग (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी) से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र के लिए निर्धारित प्रारूप विज्ञापन के साथ सलग्नक है एवं www.pnbindia.in पर **Recruitments/Careers** टैब के अंतर्गत भी उपलब्ध है।

4. ऑन-लाइन लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर

कॉल लेटर में ऑनलाइन लिखित परीक्षा (अगर होती है) की तिथि से काफी पहले परीक्षा के लिए केंद्र/स्थान के साथ सूचित किया जाएगा।

सभी पात्र अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा/ साक्षात्कार के लिए अपना कॉल लेटर एवं सूचना हैडआउट बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर Recruitments/Careers से डाउनलोड करना होगा। कॉल लेटर डाउनलोड करने की शुरुआत की तिथि बैंक की वेबसाइट पर अलग नोटिस के माध्यम से सूचित की जाएगी। इसलिए, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार कॉल लेटर डाउनलोड करने की शुरुआत की तिथि जानने के लिए बार-बार बैंक की वेबसाइट देखते रहें। अभ्यर्थियों को ध्यान देना चाहिए कि कॉल लेटर किसी अन्य माध्यम से नहीं भेजे जाएंगे।

5. कदाचार के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई

- 5.1 उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय कोई भी गलत विवरण, छेड़छाड़, मनगढ़ंत या किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को न छिपाएं।
- 5.2 ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार के समय (जहां लागू हो), यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित के लिए दोषी पाया जाता है:
- क. परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करना या
- ख. प्रतिरूपण करना या किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करवाना या
- ग. परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में दुर्व्यवहार करना या परीक्षा (ओं) की सामग्री या उसमें किसी भी जानकारी को किसी भी रूप में या किसी भी तरह से मौखिक या किसी भी उद्देश्य के लिए लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप से प्रकट करना, प्रकाशित करना, पुनः प्रस्तुत करना, संचारित करना, भंडारण करना या उसकी सुविधा प्रदान करना या
- घ. चयन के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी तरह से अनियमित या अनुचित साधन का सहारा लेना या किसी भी तरह से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना।
- ङ. अनुचित तरीके से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना या



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

- च. परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन या संचार के समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना, ऐसा उम्मीदवार स्वयं को आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी हो सकता है:
- उस परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जा सकता है जिसके लिए वह उम्मीदवार है।
 - बैंक द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा या भर्ती से, स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जा सकता है
 - सेवा की समाप्ति के लिए, यदि वह पहले ही बैंक में कार्यग्रहण कर चुका है।

6. आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय)

वर्ग	आवेदन शुल्क (प्रति अभ्यर्थी)
एससी/एसटी/ पीडब्ल्यूबीडी श्रेणी के अभ्यर्थी	₹ 50/- + जीएसटी @18% = 59/- रुपये (केवल डाक शुल्क)
अन्य श्रेणी के अभ्यर्थी	₹ 1000/- + जीएसटी @18% = 1180/- रुपये

आवेदन शुल्क के ऑनलाइन भुगतान के लिए बैंक लेनदेन शुल्क अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा ।

7. आवेदन कैसे करें

अभ्यर्थी 07.02.2024 से 25.02.2024 तक केवल ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं एवं आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7.1 ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पूर्व-आवश्यकताएँ

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, अभ्यर्थियों को नीचे पैरा 7.4 में दिए गए दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपनी फोटो, हस्ताक्षर, उलटे हाथ के अंगूठे का निशान, हस्तलिखित घोषणा, आयु का प्रमाण, जाति/ दिव्यांगता का प्रमाण, शैक्षिक योग्यता दस्तावेज़, प्रमाणन दस्तावेज़ एवं शैक्षिक योग्यता के बाद कार्य अनुभव के दस्तावेज़ को स्कैन एवं अपलोड करना चाहिए।

7.2 ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

- अभ्यर्थियों को वेबसाइट www.pnbindia.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा । आवेदन का कोई अन्य माध्यम/मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- अभ्यर्थियों के पास एक वैध व्यक्तिगत ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना आवश्यक है। इसे इस भर्ती परियोजना के पूरा होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। बैंक पंजीकृत ईमेल आईडी के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट/साक्षात्कार आदि के लिए कॉल लेटर भेज सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास वैध व्यक्तिगत ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अपनी नई ईमेल आईडी बनानी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, उसे किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल आईडी साझा/ उल्लेख नहीं करना चाहिए।
- अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी बुनियादी जानकारी दर्ज करके अपना आवेदन पंजीकृत करने के लिए "CLICK HERE FOR NEW REGISTRATION" पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सिस्टम द्वारा एक अनंतिम पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड जनरेट किया जाएगा एवं स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थी को अनंतिम पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड नोट करना चाहिए। अनंतिम पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड बताने वाला एक ईमेल एवं एसएमएस भी भेजा जाएगा।
- यदि उम्मीदवार एक बार में आवेदन पत्र भरने में असमर्थ है, तो वह पहले से दर्ज किए गए डेटा को सहेज सकता है। ऑनलाइन आवेदन को केवल अंतिम रूप से जमा करने से पहले संशोधित करने का प्रावधान है। उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन में विवरण, यदि कोई हो, को सही करने के लिए इस सुविधा का उपयोग करें। वे अनंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड का उपयोग करके सहेजे गए डेटा को फिर से खोल सकते हैं और यदि



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

- आवश्यक हो तो विवरण संपादित कर सकते हैं। एक बार आवेदन पूरी तरह भर जाने के बाद, उम्मीदवार को डेटा जमा करना चाहिए। फॉर्म भरते समय विशेष वर्णों के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।
- ड. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन सावधानीपूर्वक भरें क्योंकि ऑनलाइन आवेदन में भरे गए किसी भी डेटा में कोई बदलाव संभव/विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरण सत्यापित करने एवं यदि आवश्यक हो तो उसे संशोधित करने के लिए 'SAVE AND NEXT' सुविधा का उपयोग करें। COMPLETE REGISTRATION बटन पर क्लिक करने के बाद किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है। दृष्टिबाधित अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में विवरणों को सावधानीपूर्वक सत्यापित करने/उचित रूप से भरने एवं यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि जमा करने से पहले वे सही हैं क्योंकि जमा करने के बाद कोई बदलाव संभव नहीं होगा।
- च. आवेदन में अभ्यर्थी एवं उसके पिता/पति आदि का नाम सही ढंग से लिखा जाना चाहिए जैसा कि प्रमाण पत्र/मार्कशीट/फोटो पहचान प्रमाण आदि में दिखाई देता है। कोई भी परिवर्तन/परिवर्तन पाए जाने पर उम्मीदवारी को अयोग्य ठहराया जा सकता है।
- छ. आवेदन के सफल पंजीकरण पर उत्पन्न पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड के साथ एक ईमेल/एसएमएस सूचना सिस्टम जनित पावती के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट अभ्यर्थी के ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर भेजी जाएगी। यदि अभ्यर्थियों को उनके द्वारा निर्दिष्ट ईमेल आईडी/मोबाइल नंबर पर ईमेल एवं एसएमएस सूचनाएं प्राप्त नहीं होती हैं, तो वे मान सकते हैं कि उनका ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत नहीं किया गया है।
- ज. एक ऑनलाइन आवेदन जो किसी भी संबंध में अधूरा है जैसे उचित पासपोर्ट आकार की तस्वीर, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, हस्तलिखित घोषणा या अन्य संलग्नक का न होना /असफल शुल्क भुगतान, वैध नहीं माना जाएगा।
- झ. किसी आवेदक द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी अभ्यर्थी पर व्यक्तिगत रूप से बाध्यकारी होगी एवं यदि बाद में उसके द्वारा दी गई जानकारी/विवरण गलत पाए जाते हैं तो वह अभियोजन/नागरिक परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

कृपया ध्यान दें कि उम्मीदवार का नाम, जाति, जन्म तिथि, पद के लिए आवेदन, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परीक्षा केंद्र आदि सहित ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित सभी विवरणों को अंतिम माना जाएगा और कोई परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे ऑनलाइन आवेदन पत्र को अत्यंत सावधानी से भरें क्योंकि विवरण में परिवर्तन के संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। आवेदन में गलत और अपूर्ण विवरण प्रस्तुत करने या आवेदन पत्र में आवश्यक विवरण प्रदान करने में चूक के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

7.3 भुगतान का तरीका

- क. उम्मीदवारों के पास केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से अपेक्षित शुल्क/सूचना शुल्क का भुगतान करने का विकल्प है।
- ख. आवेदन पत्र भुगतान गेटवे के साथ एकीकृत है और निर्देशों का पालन करके भुगतान प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है।
- ग. भुगतान डेबिट कार्ड (रुपे/वीसा/मास्टरकार्ड), क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, केश कार्ड/मोबाइल वॉलेट का उपयोग करते हुए स्क्रीन पर पूछी गई जानकारी प्रदान करके किया जा सकता है।
- घ. COMPLETE REGISTRATION के बाद, आवेदन पत्र का एक अतिरिक्त पृष्ठ प्रदर्शित होगा जिसमें उम्मीदवार निर्देशों का पालन कर सकते हैं और आवश्यक विवरण भर सकते हैं।
- ड. यदि ऑनलाइन लेनदेन सफलतापूर्वक पूरा नहीं हुआ है, तो उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अंतिम पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ फिर से लॉगिन करें और आवेदन शुल्क / सूचना शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
- च. लेन-देन के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर, एक ई-रसीद जनरेट होगी।
- छ. उम्मीदवारों को ई-रसीद और ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना आवश्यक है। कृपया ध्यान दें कि यदि यह जनरेट नहीं हो पा रहा है तो ऑनलाइन लेनदेन सफल नहीं हुआ है।



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

नोट:

- क. ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपनी भुगतान जानकारी जमा करने के बाद, कृपया सर्वर से सूचना की प्रतीक्षा करें और दोहरे शुल्क से बचने के लिए बैंक या रिफ्रेश बटन न दबाएं। क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं हेतु: सभी शुल्क भारतीय रुपये में सूचीबद्ध हैं। यदि आप एक गैर-भारतीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो आपका बैंक प्रचलित विनिमय दरों के आधार पर आपकी स्थानीय मुद्रा में उसे परिवर्तित करेगा।
- ख. अपने डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, कृपया अपना लेन-देन पूरा होने के बाद ब्राउज़र विंडो बंद कर दें।
- ग. शुल्क/सूचना प्रभारों के भुगतान सहित ऑन-लाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद, उम्मीदवार को सिस्टम से जेनरेट ऑन-लाइन आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भरे गए विवरण सही हैं और पंजीकरण संख्या और पासवर्ड के साथ इसे अपने पास आगामी संदर्भ के लिए रखें। वे इस प्रिंटआउट को बैंक को न भेजें।
- घ. इंटरनेट पर भारी लोड/वेबसाइट जाम के कारण बैंक की अधिकृत वेबसाइट पर लॉग ऑन करने में असमर्थता / विफलता/ भेदभाव की संभावना से बचने के लिए उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन आवेदन करें और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें।
- ङ. उपर्युक्त कारणों से या बैंक के नियंत्रण से बाहर किसी अन्य कारण से उम्मीदवारों के अंतिम तिथि के भीतर अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा नहीं कर पाने के लिए बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है।
- च. कृपया ध्यान दें कि आवेदन करने के लिए उपर्युक्त प्रक्रिया ही एकमात्र वैध प्रक्रिया है। आवेदन का कोई अन्य तरीका या अपूर्ण चरणों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

7.4 दस्तावेजों को स्कैन करने और अपलोड करने के लिए दिशानिर्देश

ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, उम्मीदवार को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अपनी फोटो, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान, हस्तलिखित घोषणा की स्कैन (डिजिटल) इमेज एवं अन्य संलग्नक की pdf स्कैन की आवश्यकता होगी।

i) फोटोग्राफ: (4.5 सेमी × 3.5 सेमी)

- फोटोग्राफ हाल ही की पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो होनी चाहिए।
- सुनिश्चित करें कि फोटो रंगीन, हल्के रंग की, अधिमानतः सफेद, पृष्ठभूमि में ली गई है।
- तनाव-मुक्त चेहरे के साथ सीधे कैमरे की ओर देखें।
- यदि तस्वीर धूप वाले दिन ली गई है, तो धूप की तरफ अपनी पीठ रखें, या छाया में रहें, ताकि आप झुके नहीं और कोई घनी छाया न हो।
- यदि आपको फ्लैश का उपयोग करना है, तो सुनिश्चित करें कि कोई "रेड-आई" नहीं है।
- यदि आप चश्मा पहनते हैं तो सुनिश्चित करें कि कोई प्रतिबिंब नहीं है और आपकी आंखें स्पष्ट रूप से देखी जा सकती हैं।
- टोपी, हैट और काला चश्मा स्वीकार्य नहीं है। धार्मिक हेडवियर की अनुमति है लेकिन यह आपके चेहरे को नहीं ढकना चाहिए।
- आकार 200 x 230 पिक्सेल (अपेक्षित)
- फ़ाइल का आकार 20 kb-50 kb के बीच होना चाहिए
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकार 50 kb से अधिक नहीं है। यदि फ़ाइल का आकार 50 kb से अधिक है, तो स्कैनर की सेटिंग्स जैसे कि DPI रिज़ॉल्यूशन, रंग आदि, स्कैनिंग की प्रक्रिया के दौरान समायोजित करें।

ii) हस्ताक्षर:

- आवेदक को सफ़ेद कागज पर काली स्याही के पेन से हस्ताक्षर करने है।
- आकार 140 x 60 पिक्सेल (अपेक्षित)
- फ़ाइल का आकार 10kb - 20kb के बीच होना चाहिए
- सुनिश्चित करें कि स्कैन की गई इमेज का आकार 20kb से अधिक नहीं है



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

iii) बाएं हाथ के अंगूठे का निशान: (3cm x 3cm)

- आवेदक को अपने बाएं साथ के अंगूठे का निशान एक सफेद कागज पर काली या नीली स्याही से लगाना होगा।
- फ़ाइल प्रकार: jpg / jpeg
- आकार: 200 डीपीआई में 240 x 240 पिक्सल (अपेक्षित गुणवत्ता के लिए)
- फ़ाइल का आकार: 20 kb - 50 kb

iv) हस्तलिखित घोषणा की इमेज: (10cm x 5cm)

- आवेदक को सफेद कागज पर काली स्याही से स्पष्ट रूप से अंग्रेजी में घोषणा लिखनी होगी।
- फ़ाइल प्रकार: jpg / jpeg
- आकार: 200 डीपीआई में 800 x 400 पिक्सल (अपेक्षित गुणवत्ता के लिए)
- फ़ाइल का आकार: 50 केबी - 100 केबी

v) आयु का प्रमाण:

- जन्म प्रमाण पत्र / एसएसएलसी / 10वीं के प्रमाण-पत्र को आयु के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।
- फाइल का प्रकार: पीडीएफ
- फ़ाइल का आकार: 500KB से अधिक नहीं

vi) जाति / दिव्यांगता का प्रमाण पत्र (यदि लागू हो):

- भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति/ दिव्यंगता प्रमाण पत्र।
- फाइल का प्रकार: पीडीएफ
- फ़ाइल का आकार: 500KB से अधिक नहीं

vii) शैक्षिक योग्यता दस्तावेज:

- वर्षवार/सेमेस्टरवार/समेकित मार्कशीट और डिग्री प्रमाणपत्र
- फ़ाइल प्रकार: पीडीएफ
- फ़ाइल का आकार: 500KB से अधिक नहीं

viii) प्रमाणन दस्तावेज़ (यदि लागू हो):

- पाठ्यक्रम पूरा होने का प्रमाण पत्र
- फ़ाइल प्रकार: पीडीएफ
- फ़ाइल का आकार: 500KB से अधिक नहीं

ix) शैक्षिक योग्यता के बाद कार्य अनुभव के दस्तावेज (यदि लागू हो):

- शैक्षिक योग्यता के बाद के कार्य अनुभव के समर्थन में प्रासंगिक कार्य अनुभव प्रमाणपत्र या कोई अन्य दस्तावेज़
- फ़ाइल प्रकार: पीडीएफ
- फ़ाइल का आकार: 500KB से अधिक नहीं

नोट:

- क. उपरोक्त संलग्नक केवल आवेदक के होने चाहिए तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर ही अपलोड किए जाने चाहिए।
- ख. यदि परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक या कॉल लेटर पर आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं, तो आवेदक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
- ग. बड़े अक्षरों (CAPITAL LETTERS) में हस्ताक्षर/हस्तलिखित घोषणा स्वीकार नहीं की जाएगी।



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

7.5 दस्तावेजों को स्कैन करने की प्रक्रिया

- क. स्कैनर रिजॉल्यूशन को कम से कम 200 डीपीआई (डॉट्स प्रति इंच) पर सेट करें
- ख. कलर को टू कलर में सेट करें और उपर्युक्तानुसार फ़ाइल का आकार रखें
- ग. स्कैनर में इमेज को फोटोग्राफ/हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे के निशान/हस्तलिखित घोषणा के किनारे तक क्रॉप करें, फिर इमेज को अंतिम आकार में क्रॉप करने के लिए अपलोड एडिटर का उपयोग करें (जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट किया गया है)।
- घ. इमेज फ़ाइल जेपीजी या जेपीईजी प्रारूप में होनी चाहिए उदाहरण: image01.jpg या image01.jpeg और फ़ोल्डर फ़ाइलों को सूचीबद्ध करके या फ़ाइल इमेज आइकन पर माउस ले जाकर इमेज की लम्बाई-चौड़ाई की जांच की जा सकती है।
- ङ. MS Windows/ MS Office का उपयोग करने वाले उम्मीदवार MS Paint या MS Office Picture प्रबंधक का उपयोग करके आसानी से .jpeg प्रारूप में दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं। फ़ाइल मेनू में 'Save As' विकल्प का उपयोग करके किसी भी प्रारूप में स्कैन किए गए दस्तावेज़ों को .jpg / .jpeg प्रारूप में सेव किया जा सकता है और क्रॉप और आकार बदलने के विकल्प का उपयोग करके आकार को समायोजित किया जा सकता है।

7.6 दस्तावेज़ अपलोड करने की प्रक्रिया

- क. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय उम्मीदवार को फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा को अपलोड करने के लिए अलग-अलग लिंक प्रदान किए जाएंगे।
- ख. अपेक्षित दस्तावेज़/ इमेज को अपलोड करने के लिए संबंधित लिंक पर क्लिक करें।
- ग. उस स्थान को ब्राउज़ करें और चुनें जहां स्कैन की गयी दस्तावेज़/ इमेज फ़ाइल सेव की गई है।
- घ. फ़ाइल पर क्लिक करके उसे चुनें
- ङ. 'खोलें/अपलोड करें' पर क्लिक करें
- च. यदि फ़ाइल का आकार और प्रारूप यथा निर्धारित अनुसार नहीं है, तो एक त्रुटि संदेश प्रदर्शित होगा।
- छ. अपलोड की गई इमेज के पूर्वावलोकन से इमेज की गुणवत्ता देखने में मदद मिलेगी। अस्पष्ट/धुंधला होने की स्थिति में, इसे अपेक्षित स्पष्टता/गुणवत्ता के लिए पुनः अपलोड किया जा सकता है।
- ज. **आपका ऑनलाइन आवेदन तब तक पंजीकृत नहीं होगा जब तक कि आप उपरोक्त दस्तावेज़ों को यथानिर्दिष्ट रूप में अपलोड नहीं करते हैं।**

नोट:

- क. यदि फोटो में चेहरा या हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा अस्पष्ट/धुंधली है तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है।
- ख. ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटो/हस्ताक्षर/बाएं हाथ के अंगूठे का निशान/हस्तलिखित घोषणा अपलोड करने के बाद उम्मीदवारों को यह जांचना चाहिए कि इमेज स्पष्ट हैं और सही ढंग से अपलोड किए गए हैं। यदि ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करते समय फोटोग्राफ या हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है, तो उम्मीदवार अपने आवेदन को एडिट कर सकता है और आवेदन पत्र जमा करने से पहले अपनी फोटो या हस्ताक्षर या बाएं हाथ के अंगूठे का निशान या हस्तलिखित घोषणा को फिर से अपलोड कर सकते हैं।
- ग. उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित करें कि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर अपलोड किए गए हैं। यदि फोटो के स्थान पर फोटो और हस्ताक्षर के स्थान पर हस्ताक्षर ठीक से अपलोड नहीं किया जाता है, तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
- घ. उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपलोड की जाने वाली फोटो अपेक्षित आकार की है और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।
- ङ. ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए जाने वाले 7.4 (v) से (ix) तक उल्लिखित दस्तावेज़ों के संबंध में सभी पीडीएफ फाइलें निर्दिष्ट आकार की होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए ताकि पात्रता निर्धारित की जा सके अन्यथा, उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार कर दिया जा सकता है।



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

8. बायोमेट्रिक सत्यापन

बैंक, विभिन्न चरणों में, उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए डिजिटल प्रारूप में उम्मीदवारों के फोटो और अंगूठे के निशान / आईरिस स्कैन को कैप्चर कर सकता है। उम्मीदवार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अंगूठे का सही निशान / आईरिस स्कैन विभिन्न चरणों में लिया गया है क्योंकि किसी भी विसंगति के कारण उनकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तदनुसार, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे उन दिशानिर्देशों का पालन करें जो उन्हें उनके कॉल लेटर में प्रदान किए जाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक नहीं पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के अलावा, उसका / उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वह अपने हाथों पर कोई बाहरी पदार्थ जैसे मेंहदी, स्याही, रसायन आदि न लगाएं।

9. बॉण्ड

अभ्यर्थियों को यह ध्यान देने की सलाह दी जाती है कि यदि चयनित होते हैं, तो उन्हें निम्नलिखित के अनुसार एक निर्दिष्ट अवधि के लिए जमानती के साथ, बैंक में देने सेवा के लिए (बैंक में ज्वाइन करने से पहले) एक क्षतिपूर्ति बॉण्ड निष्पादित करना होगा। यदि वह इस्तीफा दे देता है या सेवा छोड़ देता है/छोड़ देती है एवं/या उसे सौंपे गए कर्तव्य के पालन में लापरवाही करता है, जिसके परिणामस्वरूप निर्दिष्ट अवधि से पहले बैंक द्वारा नियमों/विनियमों के अनुसार उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है, तो वह सभी हानियों, लागतों, शुल्कों एवं खर्चों के लिए बॉण्ड राशि की सीमा तक बैंक को क्षतिपूर्ति देगा।

स्केल	बॉण्ड की राशि	बॉण्ड की अवधि
एमएमजी स्केल - III	रु 3.00 लाख	05 वर्ष
एमएमजी स्केल - II	रु 2.00 लाख	03 वर्ष
जेएमजी स्केल - I	रु 1.00 लाख	03 वर्ष

10. क्रेडिट हिस्ट्री

- 10.1 आवेदन करने वाले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि, वे एक स्वस्थ क्रेडिट इतिहास बनाए रखें और बैंक में भर्ती होने के समय उनका न्यूनतम सिबिल स्कोर 680 या उससे अधिक हो।
- 10.2 वे अभ्यर्थी जिनकी CIBIL स्थिति भर्ती होने की तारीख से पहले अपडेट नहीं की गई है, उन्हें या तो CIBIL स्थिति अपडेट करानी होगी या ऋणदाता से इस आशय की एनओसी प्रस्तुत करनी होगी कि खातों के संबंध में कोई बकाया नहीं है, जो CIBIL में प्रतिकूल रूप से परिलक्षित होते हैं और ऐसा न करने पर नियुक्ति प्रस्ताव को वापस/रद्द किया जा सकता है।
- 10.3 बिना बैंक खाते वाले उम्मीदवारों को सिबिल स्थिति प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदन करने के लिए CIBIL स्कोर की आवश्यकता कोई पूर्व शर्त नहीं है।

11. सामान्य निर्देश

- 11.1 एक उम्मीदवार केवल एक पद के लिए आवेदन कर सकता है और किसी भी उम्मीदवार द्वारा एक से अधिक आवेदन जमा नहीं किया जाना चाहिए। एक से अधिक आवेदन करने के मामले में केवल नवीनतम वैध (पूर्ण) आवेदन ही मान्य होगा और अन्य एक से अधिक पंजीकरणों के लिए भुगतान किया गया आवेदन शुल्क/सूचना शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

- 11.2 आवेदन करने से पहले, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह इस विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता और अन्य मानदंडों को पूरा करता है। एक बार जमा किए गए आवेदनों को वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और एक बार भुगतान किए गए आवेदन शुल्क / सूचना शुल्क को न तो वापस किया जाएगा और न ही किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित रखा जाएगा।
- 11.3 यदि उम्मीदवार उस पद के लिए अपात्र पाया जाता है, जिसके लिए उसने आवेदन किया है, तो बैंक भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी भी आवेदन को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा। उम्मीदवारों की पात्रता, पात्रता की जांच का चरण, योग्यता और अन्य पात्रता मानदंड, प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज आदि और भर्ती से संबंधित किसी भी अन्य मामले के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। इस संबंध में बैंक द्वारा कोई पत्राचार या व्यक्तिगत पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि उम्मीदवार की नियुक्ति के बाद भी कोई कमी पाई जाती है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।
- 11.4 हाल ही में पहचान किए जाने योग्य रंगीन पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ, जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में अपलोड किए गए फोटोग्राफ के समान होना चाहिए, को ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर पर अच्छे से चिपकाया जाना चाहिए और उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक अपना रूप न बदलें। ऑनलाइन परीक्षा/साक्षात्कार के समय एक समान फोटो प्रस्तुत करने में विफलता के कारण अयोग्यता हो सकती है। एक उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा सभी स्थानों जैसा कि उसके कॉल लेटर, उपस्थिति शीट आदि में और भविष्य में बैंक के साथ किए जाने वाले सभी पत्राचार में समान हस्ताक्षर होना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं होनी चाहिए।
- 11.5 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ पीडब्ल्यूबीडी/ ईडब्ल्यूएस श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय और बैंक द्वारा मांग के अनुसार किसी भी स्तर पर इसके समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 11.6 ऑनलाइन परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है। हालांकि बेरोजगार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को, जिन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, उन्हें यात्रा के साक्ष्य, अर्थात् रेलवे रसीद/टिकट (ऑ) साक्षात्कार में भाग लेने के लिए प्रस्तुत करने पर सबसे निकट मार्ग द्वारा सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आने-जाने के लिए वास्तविक द्वितीय श्रेणी के रेल/साधारण बस किराए का भुगतान किया जाएगा।
- 11.7 बैंक किसी भी पत्राचार में देरी/अप्राप्त या खो जाने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 11.8 इस विज्ञापन के तहत भर्ती की प्रक्रिया से संबंधित और/या संबंधित कोई भी परिणामी विवाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित न्यायालयों के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा।
- 11.9 किसी भी रूप में प्रचार करना एक अयोग्यता होगी। समानता के पैटर्न का पता लगाने के लिए बैंक अन्य उम्मीदवारों के साथ एक उम्मीदवार की अनुक्रियाओं की तुलना करेगा। यदि निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार यह संदेह है कि अनुक्रियाओं को साझा किया गया है और प्राप्त अंक वास्तविक/ वैध नहीं हैं, तो बैंक संबंधित उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और ऐसे उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 11.10 कांटेक्ट नंबर/ पता/ ईमेल आईडी/ ऑनलाइन परीक्षा केंद्र/ साक्षात्कार केंद्र में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 11.11 यदि अंग्रेजी के अलावा अन्य संस्करण की व्याख्या के कारण कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
- 11.12 चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति बैंक की आवश्यकताओं के अनुसार उनके चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित होने के अधीन है। इस तरह की नियुक्ति बैंक की सेवा, आचरण नियमों और नीतियों के अधीन भी होगी।
- 11.13 **उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट/सूचनाओं/ निर्देशों के लिए नियमित रूप से बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर Recruitments/Careers अनुभाग देखें।**



मानव संसाधन प्रभाग ,प्रधान कार्यालय
प्लाट नं 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075

12. अस्वीकरण

- 12.1 बैंक इस विज्ञापन में अधिसूचित किसी भी पद के लिए भर्ती प्रक्रिया को किसी भी स्तर पर, अति आवश्यकता के आधार पर या अन्यथा रद्द/बदल सकता है। भर्ती प्रक्रिया रद्द होने की स्थिति में, उम्मीदवारों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय जमा किया गया आवेदन शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
- 12.2 इस भर्ती से संबंधित सभी मामलों के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम तथा सभी उम्मीदवारों के लिए बाध्यकारी होगा।
- 12.3 उम्मीदवारों के लिए बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित या पंजीकृत डाक / स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे गए या बैंक में पंजीकरण के समय आवेदन में उल्लिखित ई-मेल आईडी पर भेजे गए किसी भी नोटिस / पत्राचार को सभी उद्देश्यों के लिए पर्याप्त सूचना समझा जाएगा।
- 12.4 बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना कोई नोटिस जारी किए या कोई बिना कारण बताए, आवश्यकता पड़ने पर, किसी भी समय भर्ती प्रक्रिया को आंशिक रूप से/पूरी तरह से रद्द कर सकता है।

दिनांक: 03.02.2024

महाप्रबंधक (एचआरडी)

अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवार द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र ।

1. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी* _____
 पुत्र/पुत्री* _____ निवासी ग्राम/कस्बा* _____
 _____ के जिला/संभाग* _____ राज्य/केंद्र
 शासित प्रदेश* _____ की
 जाति/जनजाति* से संबंधित है जिसे निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत जाति/अनुसूचित
 जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:

- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950;
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950;
- * संविधान (अनुसूचित जाति) (केंद्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951;
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) केंद्र शासित प्रदेश) आदेश, 1951;

[अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची संशोधन द्वारा संशोधित आदेश, 1956; बंबई पुनर्गठन अधिनियम, 1960; पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971, संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976, मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986, अरुणाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1986 एवं गोवा, दमन एवं दीव (पुनर्गठन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित]:

- * संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956;
- * संविधान (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथासंशोधित;
- * संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962;
- * संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962;
- * संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964;
- * संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1967;
- * संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968;
- * संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968;
- * संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970;
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978;
- * संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978;
- * संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989;
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990;
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991;
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1991;
- * संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996;
- * अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002;
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002;
- * संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002;
- * संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में लागू है, जो एक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से प्रवासी हुए हैं।

यह प्रमाण-पत्र श्री/ श्रीमती/कुमारी* _____ के
माता/पिता* _____ श्री/श्रीमती* _____ निवासी
ग्राम/कस्बा* _____ के जिला/संभाग*
_____ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* _____

को जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र के आधार पर जारी किया गया है जो _____ जाति/जनजाति* से संबंधित हैं, जो [प्राधिकरण का नाम] के आदेश सं. _____ दिनांक _____ द्वारा जारी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ एवं/या*
उनका परिवार सामान्यतः _____ के
ग्राम/कस्बा* _____ जिला/संभाग* _____ राज्य/केंद्र
शासित प्रदेश* _____ में निवास करता है।

हस्ताक्षर _____

पदनाम _____

स्थान:

[कार्यालय की मुहर के साथ]

दिनांक:

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

टिप्पणी: यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः निवास" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

*कृपया जो शब्द लागू न हों उसे काट दें।

जो पैराग्राफ लागू न हो उसे काट दें।

**जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:

1. जिला मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/ कलेक्टर/ उपायुक्त/ अतिरिक्त उपायुक्त/ डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यकारी मजिस्ट्रेट।
2. मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
3. राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे का न हो।
4. उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार एवं/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

टिप्पणी: प्रमाण-पत्र भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची में संशोधन/परिवर्तन के अधीन है।

भारत सरकार के अधीन पदों पर
नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले
अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/कुमारी _____
पुत्र/पुत्री _____
निवासी ग्राम/नगर* _____ के जिला/संभाग*
_____ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश _____
की _____ समुदाय से संबंधित है जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार के संकल्प संख्या _____ दिनांक _____ * के अंतर्गत अन्य पिछड़ा
वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कुमारी _____ एवं/या
उनका परिवार सामान्यतः _____ राज्य के _____
जिला/ संभाग में रहता/रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक
एवं प्रशिक्षण विभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था. [एससीटी], दिनांक 8-9-
1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

दिनांक:
मुहर

जिला मजिस्ट्रेट/
डिप्टी कमिश्नर आदि

* - प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के विवरण का उल्लेख करना पड़ सकता है, जिसमें उम्मीदवार की जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित है।

** - समय-समय पर यथासंशोधित।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

निर्धारित प्रोफार्मा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर संशोधन के अधीन होगा।

..... सरकार

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र
(निर्धारित प्रारूप समय-समय पर संशोधन के अधीन)

प्रमाण-पत्र सं.

दिनांक:

वर्ष..... के लिए वैध

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पुत्र/पुत्री/पत्नी के
गांव /मोहल्ला डाकघर..... जिला..... राज्य/केंद्र
शासित प्रदेश.....पिन कोड..... के स्थायी निवासी हैं जिनका नीचे चिपकाया गया
फोटोग्राफ अभिप्रमाणित है, ये आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं और वित्तीय वर्ष.....
में इनकी/इनके परिवार की कुल वार्षिक आय** रु. 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है और इनके
परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति का स्वामित्व/अधिकार नहीं है***:

- I. 5 एकड़ एवं उससे अधिक कृषि भूमि;
 - II. 1000 वर्ग फीट एवं उससे अधिक का आवासीय प्लैट;
 - III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज एवं उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
 - IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज एवं उससे अधिक का आवासीय भूखंड
2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति से संबंधित हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

आवेदक का हाल ही
का पासपोर्ट आकार
का सत्यापित
फोटोग्राफ

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर

नाम

पद का नाम

* टिप्पणी 1: आय में सभी स्रोत अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि शामिल हैं।

*टिप्पणी 2: इस उद्देश्य के लिए 'परिवार' का अर्थ आरक्षण का लाभ लेने वाले व्यक्ति सहित उसका/उसके माता-पिता एवं 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसका/उसकी पत्नी/पति एवं 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

***टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति के स्वामित्व का मानदंड लागू करते समय परिवार द्वारा विभिन्न स्थानों अथवा विभिन्न क्षेत्रों/ शहरों में धारित संपत्ति को जोड़ा जाएगा।

टिप्पणी: - ऊपर दिए गए निर्धारित प्रारूप में निम्नलिखित प्राधिकारियों में से किसी भी द्वारा जारी किया गया आय एवं संपत्ति प्रमाण-पत्र केवल उम्मीदवार के ईडब्ल्यूएस से संबंधित दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा: -

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/प्रथम श्रेणी स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/उपविभागीय मजिस्ट्रेट/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त,
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट,
- (iii) राजस्व अधिकारी, तहसीलदार के पद से नीचे का न हो तथा
- (iv) उस क्षेत्र का सब - डिविजनल अधिकारी जहां उम्मीदवार एवं/या उसका परिवार सामान्य रूप से रहता है।

फार्म -I
दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
(अंगों के विच्छेदन या पूर्ण स्थायी पक्षाघात या बौनेपन के मामलों में एवं अंधेपन के मामलों में)
(निर्धारित प्रारूप समय-समय पर संशोधन के अधीन)
(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

दिव्यांग आवेदक का
हाल ही का पासपोर्ट
आकार का सत्यापित
फोटोग्राफ
(केवल चेहरे का
फोटो)

प्रमाण-पत्र संख्या :

दिनांक :

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/ कु. _____
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ जन्म तिथि (दिवस/माह /वर्ष) _____ आयु _____ वर्ष,
पुरुष/महिला _____ पंजीकरण संख्या _____ मकान नंबर _____
वार्ड/गांव/गली का स्थायी निवासी _____ डाकघर
_____ जिला _____ राज्य _____, जिसकी फोटोग्राफ ऊपर लगी है, की
सावधानीपूर्वक जांच की है कि एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:

(क) वह निम्न प्रकरण है :

लोकोमोटर दिव्यांगता

बौनापन

अंधापन

(कृपया जो लागू हो उस पर टिक करें)

(ख) उसके मामले में निदान _____ है

(ए) दिशानिर्देशों के अनुसार (.....दिशानिर्देशों के जारी होने की संख्या एवं तिथि निर्दिष्ट
की जाए) उनका _____ (शरीर का हिस्सा) के संबंध में उसमें _____% (आंकड़े में)
_____ प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी लोकोमोटर दिव्यांगता/ बौनापन/ अंधापन है

2. आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं :-

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर)

हस्ताक्षर/ अंगूठे का
निशान उन
दिव्यांगजन का
जिसका प्रमाण-पत्र
जारी किया गया है

प्रपत्र - II
दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
 (एकाधिक दिव्यांगता के मामले में)
 (निर्धारित प्रारूप समय-समय पर संशोधन के अधीन)
 (प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

दिव्यांग आवेदक का
 हाल ही का पासपोर्ट
 आकार का सत्यापित
 फोटोग्राफ
 (केवल चेहरे का
 फोटो)

प्रमाण-पत्र सं. :

तिथि:

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/
 कु. _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____
 जन्म तिथि (दिवस/माह /वर्ष) _____ आयु _____ वर्ष, पुरुष/महिला _____ पंजीकरण
 संख्या _____ मकान नंबर _____ वार्ड/गांव/गली का स्थायी निवासी
 _____ डाकघर _____ जिला
 _____ राज्य _____, जिसकी फोटोग्राफ ऊपर लगी है, की सावधानीपूर्वक जांच की है कि एवं मैं
 संतुष्ट हूँ कि:

(ए) यह एकाधिक दिव्यांगता का मामला है। उसका/उसकी स्थायी अक्षमता/दिव्यांगता की सीमा का मूल्यांकन चिह्नित दिव्यांगताओं के लिए दिशानिर्देशों (..... दिशानिर्देशों के जारी होने की संख्या एवं तिथि निर्दिष्ट की जाए) के अनुसार किया गया है, एवं नीचे दी गई सारणी में संबंधित दिव्यांगता के समक्ष दिखाई गई है:

क्र.सं.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित भाग	निदान	स्थायी अक्षमता/ मानसिक दिव्यांगता (% में)
1	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2	मांसपेशीय दुर्बिकास			
3	ठीक हुआ कुष्ठ रोग			
4	बौनापन			
5	मस्तिष्क पक्षाघात			
6	एसिड अटैक पीड़ित			
7	कम दृष्टि	#		
8	अंधापन	#		
9	बहरापन	£		
10	सुनने में कठिनाई होना	£		
11	वाणी एवं भाषा दिव्यांगता			
12	बौद्धिक दिव्यांगता			
13	विशिष्ट सीखने की अक्षमता			
14	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर			
15	मानसिक बिमारी			
16	क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ			
17	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
18	पार्किंसंस रोग			
19	हीमोफीलिया			
20	थैलेसीमिया			
21	सिकल सेल रोग			

(बी) उपर्युक्त के प्रकाश में दिशानिर्देशों के अनुसार (.....दिशानिर्देशों के जारी होने की संख्या एवं तिथि निर्दिष्ट की जाए) उसकी समग्र स्थायी शारीरिक अक्षमता, इस प्रकार है: -

आंकड़ों में: - _____ प्रतिशत

शब्दों में: - _____ प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगतिशील/गैर-प्रगतिशील /सुधार की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन:

(i) आवश्यक नहीं है,

या

(ii) _____ वर्ष _____ महीनों के बाद अनुशासित/की संस्तुति की जाती है एवं इसलिए यह प्रमाण-पत्र (दिवस/माह /वर्ष) _____ तक वैध रहेगा।

@ - उदा. बाएँ/दाएँ/दोनों हाथ/पैर

- उदा. एक आँख

£ - उदा. बाएँ / दाएँ / दोनों कान

4. आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं: -

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर

सदस्य का नाम एवं मुहर	सदस्य का नाम एवं मुहर	अध्यक्ष का नाम एवं मुहर

हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान उन दिव्यांगजन का जिसका प्रमाण-पत्र जारी किया गया है

फॉर्म - III
दिव्यांगता प्रमाण-पत्र
 (फॉर्म I एवं II में उल्लिखित मामलों के अलावा अन्य मामलों में)
 (निर्धारित प्रारूप समय-समय पर संशोधन के अधीन)
 (प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

दिव्यांग आवेदक का
 हाल ही का पासपोर्ट
 आकार का सत्यापित
 फोटोग्राफ
 (केवल चेहरे का
 फोटो)

प्रमाण-पत्र संख्या :

तिथि :

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कु. _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ जन्म तिथि (दिवस/माह /वर्ष) _____ आयु _____ वर्ष, पुरुष/महिला _____ पंजीकरण संख्या _____ मकान नंबर _____ वार्ड/गांव/गली का स्थायी निवासी _____ डाकघर _____ जिला _____ राज्य _____, जिसकी फोटोग्राफ ऊपर लगी है, की सावधानीपूर्वक जांच की है कि एवं मैं संतुष्ट हूँ कि यह _____ दिव्यांगता का मामला है। इसकी शारीरिक अक्षमता/दिव्यांगता के प्रतिशत की सीमा का मूल्यांकन दिशानिर्देशों (..... दिशानिर्देशों के जारी होने की संख्या एवं तिथि निर्दिष्ट की जाए) के अनुसार किया गया है एवं एवं नीचे दी गई सारणी में संबंधित दिव्यांगता के समक्ष दिखाई गई है:

क्र.सं.	दिव्यांगता	शरीर का प्रभावित हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक अक्षमता/ मानसिक दिव्यांगता (% में)
1	लोकोमोटर दिव्यांगता	@		
2	मांसपेशीय दुर्बिकास			
3	ठीक हुआ कुष्ठ रोग			
4	मस्तिष्क पक्षाघात			
5	एसिड अटैक पीड़िता			
6	कम दृष्टि	#		
7	बहरापन	£		
8	सुनने में कठिन	£		
9	वाणी एवं भाषा दिव्यांगता			
10	बौद्धिक दिव्यांगता			
11	विशिष्ट सीखने की अक्षमता			
12	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर			
13	मानसिक बिमारी			
14	क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ			
15	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
16	पार्किंसंस रोग			
17	हीमोफीलिया			
18	थैलेसीमिया			
19	सिकल सेल रोग			

(कृपया उन अक्षमताओं को काट दें जो लागू नहीं हैं।)

2. यह स्थिति प्रगतिशील/गैर-प्रगतिशील /सुधार की संभावना है/सुधार होने की संभावना नहीं है।

3. दिव्यांगता का पुनर्मूल्यांकन:

(i) आवश्यक नहीं है,

या

(ii) _____ वर्ष _____ महीनों के बाद अनुशासित/की संस्तुति की जाती है एवं इसलिए यह प्रमाण-पत्र (दिवस/माह /वर्ष) _____ तक वैध रहेगा।

@ - उदा. बाएँ/दाएँ/दोनों हाथ/पैर

- उदा. एक/ दोनों आँख

£ - उदा. बाएँ / दाएँ / दोनों कान

4. आवेदक ने निवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए हैं: -

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम एवं मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित

{प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर

सरकारी अस्पताल के मामले में

सीएमओ/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी चिकित्सालय का प्रमुख

यदि प्रमाण-पत्र एक मेडिकल प्राधिकारी

द्वारा जारी किया जाता है

जो सरकारी कर्मचारी नहीं है

(मुहर सहित)}

हस्ताक्षर/ अंगूठे का
निशान उन दिव्यांगजन
का जिसका प्रमाण-पत्र
जारी किया गया है

परिशिष्ट-1

निर्दिष्ट दिव्यांग व्यक्ति के लिए प्रमाण-पत्र को आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (एस) की परिभाषा के अंतर्गत कवर किया गया है, किन्तु उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की परिभाषा के अंतर्गत अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता एवं लेखन में कठिनाई वाले व्यक्ति को कवर नहीं किया गया है, ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/सुश्री/श्रीमती (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री(ग्राम/डाकघर/पीएस/जिला/राज्य) का निवासी, उम्र वर्ष , व्यक्ति जो..... (दिव्यांगता/स्थिति की प्रकृति) से ग्रस्त है, की जांच की है एवं यह स्पष्ट है कि उसे ऐसी अक्षमता हैं जो उसकी उपर्युक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता में बाधा डालती हैं, उसे परीक्षा में लिखने के लिए स्क्राइब के सहयोग की आवश्यकता होती है।

2. उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम निर्दिष्ट किया जाना चाहिए) का उपयोग करता है जो परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार हेतु स्क्राइब की सहायता आवश्यक है।

3. यह प्रमाण-पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है एवं _____ तक वैध है (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम अवधि के लिए वैध है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है) .

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)	(हस्ताक्षर एवं नाम)
हड्डी रोग विशेषज्ञ/ पीएमआर विशेषज्ञ	नैदानिक मनोवैज्ञानिक/पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक/विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ओक्युपेश्नल चिकित्सक (यदि उपलब्ध हो)	अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर एवं नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारीअध्यक्ष				

मुहर सहित सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम

स्थान :

तिथि :